



फा.सं.वित्त/22/19/2007-समन्वय (ए एण्ड ए)

दिनांक 18 अक्टूबर, 2016

पृष्ठांकन

वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग (बजट प्रभाग) ने दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 के संकल्प संख्या 5(1)-बी(पीडी)/2016 जारी किया है जो जीपीएफ (केंद्रीय सेवाएं) आदि के संबंध में 8.0% (आठ प्रतिशत) की ब्याज दर से संबंधित है यह दरें 1 अक्टूबर, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक प्रभावी होंगी और यह दर 1 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी होंगी। उक्त संकल्प की प्रति को सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए भाकृअप की वेब-साइट www.icar.org.in में डाल दिया गया है।

—*राजेश सहाय*—
(राजेश सहाय) 18/10/2016

वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी

वितरण

I भाकृअप संस्थान :-

1. सभी अनुसंधान संस्थानों/परियोजना निदेशालयों और राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/ब्यूरो के निदेशक/संयुक्त निदेशक/परियोजना निदेशक
2. परियोजना समन्वयक/ समन्वित अनुसंधान परियोजना/क्षेत्रीय परियोजना निदेशक
3. सभी अनुसंधान संस्थान, परियोजना निदेशालयों एवं राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों के वित्त एवं लेखा अधिकारी

II भाकृअप मुख्यालय :-

1. भाकृअप, कृषि भवन, कृषि अनुसंधान भवन I&II, एनएएससी, नई दिल्ली के सभी अधिकारी/अनुभाग।
2. सहायक महानिदेशक (समन्वय)/सहायक महानिदेशक (पीआईएम) पीडी, डीकेएमए।
3. एनडी, एनआईपी/अध्यक्ष, एसआरबी।
4. एनसी, एनएफबीएसएफएआरए
5. उप सचिव (प्रशा), भाकृअप मुख्यालय/निदेशक (डेयर)
6. वरिष्ठ वित्त लेखा अधिकारी-I/लेखापरीक्षा-III
7. अवर सचिव (रोकड़), भाकृअप, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव डेयर और महानिदेशक, भाकृअप के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ अपर सचिव, डेयर और सचिव, भाकृअप के प्रधान निजी सचिव, अपर सचिव और वित्त सलाहकार डेयर/भाकृअप के प्रधान निजी सचिव।
9. प्रभारी एआरआईसी, डीकेएमयू, केएबी-I पूसा नई दिल्ली-12 को उपर्युक्त पृष्ठांकन को भाकृअप की वेबसाइट में डालने के लिए
10. सचिव (कर्मचारी पक्ष)
11. गार्ड फाइल
12. अतिरिक्त प्रतियां-10

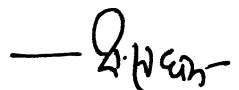
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAVAN: NEW DELHI

F. No/FIN/22/19/2007-CDN (A&A)

Dated the 18 October, 2016

ENDORSEMENT

A copy of Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) Resolution F. No. 5(1)-B(PD)/2016 dated the 03rd October 2016 regarding GPF (Central Services) etc. interest at the rate of 8.0 % (Eight percent) w.e.f. 1st October, 2016 to 31st December, 2016 and this rate will be in force w.e.f. 1st October, 2016 is posted on ICAR web-site www.icar.org.in for information, guidance and necessary action.

— 
(Rajesh Sahay) 18/10/2016

Sr. Finance & Accts. Officer

I ICAR Institutes:

1. Directors/Joint Directors/Project Directors of all Research Institutes/Project Directorates and National Research Centres/Bureaux
2. Project Coordinators/Coordinated Research Projects/Zonal Project Directors.
3. The Finance & Accts. Officers of all Research Institutes, Project Directorates and National Research Centres

II ICAR Headquarters:

1. All Officers/Sections, ICAR, Krishi Bhavan, New Delhi including Krishi Anusandhan Bhavan I & II, NASC, Pusa, New Delhi.
2. ADG (CDN)/ADG (PIM)/PD, DKMA
3. ND, NAIP/ Chairman, ASRB
4. NC, NFBSFARA
5. Dy. Secy. (Admn.)/ Director (DARE)
6. Sr. F&AO-I/Audit-III
7. US (Cash)
8. Sr. PPS to Secretary, DARE & DG, ICAR/PPS to Additional Secretary, DARE and Secretary, ICAR/ PPS to AS & FA, DARE/ICAR
- ✓ 9. Incharge, ARIC, DKMA, KAB-I Pusa, New Delhi-12 for placing the letter in the ICAR Web-Site.
10. Secretary (Staff Side)
11. Guard file.
12. Spare copies-10